

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :- 82/2023  
जीसीएमएस नम्बर :- 2023/1550

अपीलार्थी :-

श्यामसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी खेड़ापा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

**बनाम**

प्रत्यर्थागण :-

नायब तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 16.05.2019 जो नायब तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 28/2019 बअनवान सरकार बनाम श्यामसिंह में पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई (अपीलार्थी)।

—: आदेश :- दिनांक :- 06.09.2024

अपीलार्थी ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 आदेश दिनांक 16.05.2019 जो नायब तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 28/2019 बअनवान सरकार बनाम श्यामसिंह में पारित किया गया, के विरुद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी खेड़ापा ने राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने बाबत् एक रिपोर्ट तहसीलदार बावड़ी को पेश की जिस पर दिनांक 22.04.2019 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया कि “ आपने कृषि वर्ष 2076 में खेड़ापा के खसरा नम्बर 108 जो कि सरकारी भूमि है पर 5 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किया है। आप उक्त भूमि को खाली करें अथवा हेतुक दर्शित करें कि आपको क्यों नहीं बेदखल किया जावे।” उक्त नोटिस का जवाब अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया जिसमें यह बतलाया कि जिस भूमि पर अतिक्रमण बताया जा रहा है वह



अतिक्रमित भूमि नहीं है। खसरा नम्बर 108 में 0.10 बीघा भूमि उत्तरदाता के भाई मंगलसिंह जो परिवार के मुखिया थे, को जरिये निर्णय दिनांक 29.12.1987 को आवंटित की गई है क्योंकि वक्त बन्दोबस्त अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित खसरों में काबिज व काश्त थे। सहवन से उक्त भूमि उनके खातेदारी में दर्ज नहीं हो सकी। जिसमें न केवल आवंटी मंगलसिंह बल्कि अपीलार्थी श्यामसिंह व मनोहरसिंह के भी मकानात् बने हुए है। उक्त भूमि पैतृक व स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि से अपीलार्थी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2019 से व्यथित होकर अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 03.09.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 06.09.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थी ने जब अपना जवाब प्रस्तुत किया जो उसी दिन बताया कि नायब तहसीलदार अभी मौका देखने गए है आपको तारीख पेशी बता देंगे। प्रार्थी बार-बार अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी पर आता रहा परन्तु पेशी नहीं बताई गई एवं अचानक दिनांक 18.02.2020 को नोटिस प्राप्त हुआ कि आप अपना कब्जा हटा लें, तब उक्त नोटिस की प्रति बताई तो रीडर ने कहा कि आप दिनांक 20.02.2020 को आ जाना एवं पूरी पत्रावली आपको दिखा देंगे। जिस पर प्रार्थी दिनांक 20.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में गया तथा रीडर से सम्पर्क कर नकल हेतु आवेदन किया, जिस पर नकल उसी रोज तैयार कर दे दी। जिसको लेकर प्रार्थी जोधपुर आया और अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार कर उसी दिन न्यायालय में पेश की दी। प्रार्थी ने जानबूझकर या उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलम्ब नहीं किया है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है वो माकुल व सद्भाविक होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अपील में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश दिनांक 16.05.2019 में अपीलार्थी को बिना अतिक्रमी घोषित किये एवं अपने अधिकारों को आगे हस्तान्तरित करने में भारी त्रुटि कारित की है। यहां यह कहना न्यायोचित होगा कि धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत सर्वप्रथम अतिक्रमी घोषित किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात् कब्जा हटाने की बात पैदा होती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया कि “अपीलार्थी अतिक्रमी है, जुर्माना वसूला जावे एवं बेदखल किया जावे। आगे अपने अधिकारों का हस्तान्तरण करते हुए आदेश दिया कि वक्त बेदखली सीमाज्ञान किया जावे एवं यदि सीमाज्ञान के पश्चात् अतिक्रमण पाया जावे तो बेदखल किया जावे। अतिक्रमण नहीं पाया जाने पर बेदखल नहीं किया जावे तथा अतिक्रमण के लिए वसूला गया जुर्माना विद्धो किया जावे। तात्पर्य यह है कि उक्त आदेश विधिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि नायब तहसीलदार ने न तो बेदखली हेतु किसी को अधिकृत किया और न ही अतिक्रमी माना है एवं अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार आगे हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त योग्य होने से खारिज फमावे।

अपीलीर्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किये बिना ही विधिविरुद्ध आदेश पारित कर दिया। विवादग्रस्त भूमि उत्तरदाता के भाई मंगलसिंह को आवंटन की गई थी। उक्त आवंटन आदेश को किसी ने चुनौती नहीं दी है, आवंटन आदेश आज भी बरकरार है। अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की पालना किये बिना आदेश पारित किया जो काबिले निरस्त योग्य है।

हमने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने में जो देरी के कारण बतलाए गए हैं वह सद्भाविक होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत

धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बावड़ी ने आदेश दिनांक 16.05.2019 में अपीलार्थी को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए जुर्माने से दण्डित किया तथा बेदखली का आदेश पारित करने के बाद पुनः सीमाज्ञान करने का आदेश दिया तथा आगे आदेश में बताया कि यदि सीमाज्ञान के पश्चात अतिक्रमण पाया जावे तो बेदखल किया जावे और अतिक्रमण नहीं पाया जाने पर बेदखल नहीं किया जावे तथा अतिक्रमण के लिए वसूला गया जुर्माना विद्धो कर लिया जावे।

यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व ही सीमाज्ञान कर लिया जाता तो ऐसा विरोधाभासी आदेश पारित नहीं किया जाता। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 16.05.2019 जो नायब तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 28/2019 बअनवान सरकार बनाम श्यामसिंह में पारित किया गया, को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बावड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान करने के पश्चात् तथा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विधिसमत् निर्णय पारित करे। मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

(सीमा कविया)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 06.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
जोधपुर (ग्रामीण)